प्रेस नोट
दिनांक 13.07.2025, थाना परसपुर,
जनपद गोण्डा।

थाना परसपुर क्षेत्र के अन्तर्गत चोरी की योजना बनाते 04 शातिर चोर गिरफ्तार, जनपद में हुई चोरी की कई घटनाओं का सफल अनावरण, कब्जे से चोरी किये गये 45,100/- रूपये नगदी तथा चोरी की घटना में प्रयुक्त होने वाले उपकरण लोहे का राड़, लोहे का सब्बल बरामदः-

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना परसपुर पुलिस टीम द्वारा चोरी की योजना बनाते 04 शातिर चोरो 01. शनि, 02. रितिक सिंह उर्फ बिल्लू, 03. मलखान व 04. रिजवान को गिरफ्तार कर 01. मु0अ0स0 247/2025, धारा 305, 331(4), 324(2)बीएनएस, 02. मु0अ0स0 246/2025, धारा 305, 331(4), 324(2) बीएनएस, 03. मु0अ0स0 187/2025, धारा 305 बीएनएस थाना परसपुर, 04. मु0अ0स0 149/2025, धारा 305, 331(4) बीएनएस थाना उमरीबेगमगंज, 05. मु0अ0स0 312/2025, धारा 305(A), 331(4) बीएनएस, 06. मु0अ0स0 314/2025, धारा 305(A), 331(4) बीएनएस थाना को0देहात, 07. मु0अ0स0 133/2025, धारा 305(A), 331(4) बीएनएस थाना कौडिया से सम्बन्धित चोरी किये गये 45,100/- रूपये नगद, 20 केन बीयर, 45 पैकेट देशी शराब तथा चोरी में प्रयुक्त होने वाले उपकरण 01 अदद लोहे का राड़, 01 अदद लोहे का सब्बल आदि बरामद किया गया है। बरामदगी व गिरफ्तार के आधार पर मु0अ0स0 251/2025 धारा 313 बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

आज दिनांक 13.07.2025 को उ0नि0 अमन कन्नौजिया मय फोर्स रात्रिगस्त, तलाश वारण्टी आदि में भ्रमणशील थे कि सूचना प्राप्त हुई की सरदार पुरवा मोड़ मौजा डेहसरा कर्बला के पास स्थित खाली मकान में कुछ लोग चोरी की योजना बना रहे है उक्त सूचना पर उ0नि0 अमन कन्नौजिया मय फोर्स मौके पर पहुचकर चोरी की योजना बना रहे आरोपी अभियुक्त 01. शनि, 02. रितिक सिंह उर्फ बिल्लू, 03. मलखान व 04. रिजवान को गिरफ्तार कर लिया गया तथा जमातलाशी व निशानदेही पर विभिन्न मुकदमों में चोरी किये गये 45,100/- रूपये नगद, 20 केन बीयर, 45 पैकेट देशी शराब तथा चोरी की घटना में प्रयुक्त होने वाले उपकरण 01 अदद लोहे का राड, 01 अदद लोहे का सब्बल आदि बरामद किया गया है। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना परसपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगणों से पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि ये लोग आज मोहना थाना परसपुर में दारू की दुकान में चोरी करने की योजना बना रहे थे कि पुलिस द्वारा चोरी योजना बनाते समय पकड़ लिया गया । करीब 01 माह पूर्व भटपुरवा में सतनामी बाबा आश्रम के दानपत्र का ताला तोड़ कर रूपये चोरी किये थे। दिनांक 08.07.2025 को थाना को0देहात क्षेत्रान्तर्गत पथरी रामनगर मोड़ के पास स्थित किराने की दुकान से घरेलू समान व नगदी रूपये चोरी किये थे तथा उसी रात सरकारी कम्पोजित शराब की दुकान ग्राम जमुनियाबाग विशुनागा में बीयर व नगदी चोरी किये थे। दिनांक 17.06.2025 को थाना कौडिया क्षेत्रान्तर्गत आर्यनगर देशी शराब की दुकान के पीछे से नकब लगाकर दुकान में रखा नगदी चोरी किये थे। इन लोगो का एक संगठित गिरोह है जो आर्थिक लाभ कमाने के लिए तरह-तरह के तरीके अपनाकर जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में चोरी की घटनाओ को अंजाम दिया करते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. शनि पुत्र रामशंकर निवासी रामनेवाज पुरवा मौजा मरचौर थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
02. रितिक सिंह उर्फ बिल्लू पुत्र नन्दपाल सिंह निवासी कालीसिंह पुरवा मधईपुर खाण्डेराय थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
03. मलखान पुत्र रमेश उर्फ भोदर निवासी भयापुरवा मरचौर थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
04. रिजवान पुत्र जाकिर निवासी सरदारपुरवा डेहसरा थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0 251/2024 धारा 313 बीएनएस थाना परसपुर, जनपद गोण्डा।

अनावरित अभियोग

01. मु0अ0स0 247/2025, धारा 305, 331(4), 324(2)बीएनएस थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0स0 246/2025, धारा 305, 331(4), 324(2)बीएनएस थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
03. मु0अ0स0 187/2025, धारा 305 बीएनएस थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
04. मु0अ0स0 149/2025, धारा 305, 331(4) बीएनएस थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।
05. मु0अ0स0 312/2025, धारा 305(A), 331(4) बीएनएस थाना को0देहात जनपद गोण्डा।
06. मु0अ0स0 314/2025, धारा 305(A), 331(4) बीएनएस थाना को0देहात जनपद गोण्डा।
07. मु0अ0स0 133/2025, धारा 305(A), 331(4) बीएनएस थाना कौडिया जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 45100 रूपये विभिन्न मुकदमें में चोरी के रूपये
02. 20 केन बीयर
03. 45 पैकेट देशी शराब

चोरी में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बरामद

01. 01 अदद सब्बल
02. 01 लोहे का राड

गिरफ्तार कर्ता टीम-

02. उ0नि0 सौरभ वर्मा
03. उ0नि0 रविप्रकाश यादव
04. हे0का0 अमित कुमार मिश्रा
05. का0 आनन्द अग्रहरि
06. का0 राहुल पटेल
07. का0 वेदप्रकाश वर्मा

अभियुक्त शनि पुत्र रामशंकर का आपराधिक इतिहास

01. मु0अ0स0 380/2024 धारा 303(2), 317(2), 317(3) बीएनएस थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

अभियुक्त रितिक पुत्र नन्दलाल सिंह का आपराधिक इतिहास

01. मु0अ0स0 232/2022 धारा 323, 504, 506 भादवि थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।